न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
ओमप्रकाश रैगर (आरटीएस)
दिनांक 5.4..2021

मि.न. 23/2021

सरकार बनाम जगमाल

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सांगटेड़ा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम सांगटेड़ा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 704/0.06 व 705/0.04है0 किस्म जाव–1,चाही–1 भूमि पर जगमाल पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी सांगटेड़ा तहसील कोटपूतली ने सरसों फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया हैं।

अतः रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। सूचना के उपरान्त गैर सायल उपस्थित आये । गैर सायल द्वारा कोई जबाब दस्तवेज पेश नही किया गया जिसके आधार पर गैरसायल को अनुतोष दिया जा सके।हमने पटवारी रिपोर्ट , पत्रावली में संलग्न दस्तवेजों पर गोर किया तो विवेचन में पाया कि गैर सायल का अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

अतः गैर सायल जगमाल पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी सांगटेड़ा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम सांगटेड़ा के ख0 नं0 704/0.06 व 705/0.04है0 किस्म सिवायचक भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई फसल सरसों को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप मे लगान राशी 4रू. का पचास गुणा 200 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू–.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली फसल निलामी, आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्वर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.4.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

5.4.2021

2021 ...28... के पृष्ठ संख्या 77.. पर ...2.00...
राजस्व ...कोटपूतली
...7/21